

प्रेषक,

भानु चन्द्र गोस्वामी,

विशेष सचिव,

उOप्रO शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

गाजीपुर, कासगंज, उन्नाव, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, हमीरपुर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, खीरी, कानपुर देहात, एटा, सोनभद्र, जालौन, कन्नौज, बांदा, चन्दौली, चित्रकूट एवं लखनऊ।

राजस्व अनुभाग10-

लखनऊ: दिनांक: 17-12-2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना सं 0-303/1-11-2016- 4(जी)/2016, दिनांक 27.06.2016, अधिसूचना दिनांक 02.08.2018 द्वारा बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लूप्रकोप-, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना, अधिसूचना सं0-393/1-11-2018-4(जी)/2016,, दिनांक 17.10.2018 द्वारा मानव मानव वन्य जीव द्वन्द एवं अधिसूचना सं0-387-एवं 0 /एक11-2021--4(जी)/2015, दिनांक 09.06.2021 द्वारा कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूब कर होने वाली मृत्यु तथा सं0-586/एक-11-2022-4(जी)/2015 , दिनांक 13.10.2022 द्वारा सांड एवं वनरोज (नीलगाय) के आघात से होने वाली घटनाओं को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रू0 1337.00 लाख (रू0 तेरह करोड सैंतीस लाख मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित धनराशि संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्रम सं0	जनपद का नाम	मद 09	स्वीकृत की जा रही धनराशि (लाख में)
1	2	3	4
1	गाजीपुर	डूबकर होने वाली मृत्यु	150.00
2	कासगंज	डूबकर होने वाली मृत्यु	30.00
		बेमौसम भारी वर्षा	20.00
	उन्नाव	डूबकर होने वाली मृत्यु	50.00

50.00

-100.00

3		सर्पदंश	50.00	
4	मिर्जापुर	सर्पदंश	50.00	
5	प्रतापगढ़	सर्पदंश	100.00	
6	हमीरपुर	सर्पदंश	40.00	120.00
		बेमौसम भारी वर्षा	40.00	
		आकाशीय विद्युत	40.00	
7	गोरखपुर	बेमौसम भारी वर्षा	10.00	
8	सिद्धार्थनगर	आकाशीय विद्युत	20.00	80.00
		बेमौसम भारी वर्षा	10.00	
		सर्पदंश	50.00	
9	खीरी	बोरवेल में गिरना	8.00	58.00
		बेमौसम भारी वर्षा	50.00	
10	कनपुर देहलत	बेमौसम भारी वर्षा	100.00	140.00
		इबकर होने वाली मृत्यु	40.00	
11	एटा	बेमौसम भारी वर्षा	40.00	
12	सोनभद्र	सर्पदंश	80.00	
13	जालौन	सर्पदंश	30.00	60.00
		इबकर होने वाली मृत्यु	30.00	
14	कन्नौज	इबकर होने वाली मृत्यु	30.00	
15	बांदा	इबकर होने वाली मृत्यु	100.00	200.00
		सर्पदंश	100.00	
16	चन्दौली	इबकर होने वाली मृत्यु	30.00	
17	चित्रकूट	बेमौसम भारी वर्षा	30.00	
18	लखनऊ	बेमौसम भारी वर्षा	5.00	9.00
		सांड एवं वनरोज(नीलगाय) के आघात से होने वाली घटना	4.00	
		योग-	1337.00	
(रूपये तेरह करोड़ सैंतीस लाख मात्र)				

नियम व शर्त/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार

से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट (डी.बी.टी.) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद द्वारा टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(3) भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-NDM-1 दिनांक 11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक दरें निर्धारित की गयी हैं। जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेंगे।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है।

अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1- 11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2025 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹0 1337.00 लाख (₹0 तेरह करोड़ सैंतीस लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदा से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Signed by

(अभिषेक चन्द्रा) Swami

Date: 17.12.2024 11:28:55

संख्या- 1970 (1)/एक10-2024- तद्विनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, 30प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र0
शासन।

6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।

7- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, 30प्र0।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(भानु चन्द्र गोस्वामी)

विशेष सचिव ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-17/12/2024

प्रेषण संख्या:- 1970
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1970
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पान्स फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	एटा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	4000000 23500000	4000000 23500000
2	जातौन-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	6000000 36500000	6000000 36500000
3	हमीरपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	12000000 35700000	12000000 35700000
4	बांदा -4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 82900000	20000000 82900000
5	मिर्जापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 44000000	5000000 44000000
6	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	15000000 60000000	15000000 60000000
7	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 56200000	1000000 56200000
8	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	900000 15200000	900000 15200000
9	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 32604000	10000000 32604000
10	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5800000 71900000	5800000 71900000
11	प्रतापगढ़-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 57700000	10000000 57700000
12	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	14000000 50000000	14000000 50000000
13	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	8000000 43900000	8000000 43900000
14	सोनभद्र-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	8000000 75871500	8000000 75871500
15	बन्दीली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 33800000	3000000 33800000
16	कन्नौज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 24000000	3000000 24000000
17	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 49000000	3000000 49000000
18	कांसर्गज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 20500000	5000000 20500000
	योग	वर्तमान प्रगामी	133700000 813275500	133700000 813275500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया तेरह करोड़ सैतीस लाख
रूपया इक्कासी करोड़ बत्तीस लाख पचहत्तर हजार पाँच सौ

810

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।